प्रस्तावित गैर वनभूमि के वैधानिक स्वरूप (राजस्व भूमि अथवा निजी भूमि) बाबत् प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा तहसील-मनासा, जिला-नीमच स्थित 'गगाबावडी जलाशय योजना हेतु वनभूमि के बदले ग्राम-डांबी तहसील-सिंगोली में भूमि सर्वे नं. 01 रकबा 54.559 है. में से रकबा 28.25 है. राजस्व भूमि (मद प्रस्तावित वन) वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच को न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला-नीमच म.प्र. के प्रकरण आदेश के. 62 / अ-20(3) / 2022-23 के पारित आदेश दिनांक 31.03.2023 अनुसार हस्तांतरित की गई।

तहर्माल (स.म.) तहसील सिंगी जिला नीमच (म.प्र.)

प्रस्तावित गैर वनभूमि किसी अन्य परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नहीं दिये जाने बाबत् प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन विमाग भोपाल द्वारा तहसील-मनासा. जिला-नीमच स्थित गंगाबावडी जलाशय योजना हेतु वनभूमि के बदले ग्राम-डांबी तहसील-सिंगोली में भूमि सर्वे नं. 01 रकबा 54.559 हे. में से रकबा 28.25 हे. राजस्व भूमि (मद प्रस्तावित वन) वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच को न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला-नीमच म.प्र. के प्रकरण आदेश क्रं. 62/अ-20(3)/2022-23 के पारित आदेश दिनांक 31.03.2023 अनुसार हस्तांतरित की गई। उक्त भूमि किसी अन्य परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित/नामांतरित नहीं की गई है।

तहसील सिमोलीज) जिला नीमच (म.प्र.)



छोटे एवं बडे झाड़ के जंगल की भूमि सम्मिलित नहीं होने बाबत् प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन विमाग भोपाल द्वारा तहसील-मनासा, जिला-नीमच स्थित गगाबावडी जलाशय योजना हेतु वनभूमि के बदले ग्राम-डांबी तहसील-सिंगोली में भूमि सर्वे नं. 01 रकबा 54.559 है. में से रकबा 28.25 है. राजस्व भूमि (मद प्रस्तावित वन) वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच को न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला-नीमच म.प्र. के प्रकरण आदेश क्रं. 62/अ-20(3)/2022-23 के पारित आदेश दिनांक 31.03.2023 अनुसार हस्तांतरित की गई। उक्त भूमि में छोटे एवं बडे झाड के जंगल मद की कोई भी भूमि सम्मिलित नहीं है।

तहरासिलहर तहसील सिंगीली ?!) जिला नीमच (म.प्र.)

प्रस्तावित गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने (आधिपत्य सौंपने) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा तहसील-मनासा, जिला-नीमच स्थित 'गगाबावडी जलाशय योजना हेतु वनभूमि के बदले ग्राम-डांबी तहसील-सिंगोली में भूमि सर्वे नं. 01 रकबा 54.559 हे. में से रकबा 28.25 हे. राजस्व भूमि (मद प्रस्तावित वन) वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच को न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला-नीमच म.प्र. के प्रकरण आदेश क्रं. 62/अ-20(3)/2022-23 के पारित आदेश दिनांक 31.03.2023 अनुसार हस्तांतरित की गई। उक्त भूमि दिनांक 01.01.2024 को मौके पर चतुरसीमा पत्थर की ढेरियों से चिन्हित कर वनपरिक्षेत्राधिकारी नीमच को कब्जे में दी गई है।

जिला नीमच (म.प्र.)



व्यक्तियों एवं समुदायों के विद्यमान अधिकारों के अभिलेखन का प्रतिवेदन

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन विमाग भोपाल द्वारा तहसील-मनासा, जिला-नीमच स्थित 'गगाबावडी जलाशय योजना हेतु वनभूमि के बदले ग्राम-डांबी तहसील-सिंगोली में भूमि सर्वे नं. 01 रकबा 54.559 हे. में से रकबा 28.25 हे. राजस्व भूमि (मद प्रस्तावित वन) वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच को न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला-नीमच म.प्र. के प्रकरण आदेश क्रं. 62/अ-20(3)/2022-23 के पारित आदेश दिनांक 31.03.2023 अनुसार हस्तांतरित की गई। उक्त भूमि में किन्हीं भी व्यक्तियों एवं समुदायों के व्यक्तिगत/सामुदायिक अधिकार सम्मिलित नहीं है।

तहर तहरतील (सिंग) ली ला) जिला नीमच